

“मीडिया की साम्प्रदायिकता”

लेखक परिचय

अनिल चमड़िया -

मीडिया स्टडीज ग्रुप के चेयरमैन और दो पत्रिकाओं 'जन मीडिया' और 'मास मीडिया' के संपादक हैं। वह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जनसंचार के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान में भी पढ़ाया है। 'मीडिया और मुसलमान', 'एम्बेडेड जर्नलिज्म-पंजाब' का संपादन किया है।

अवनीश -

मीडिया स्टडीज ग्रुप के सदस्य और दो पत्रिकाओं 'जन मीडिया' और 'मास मीडिया' के सहायक संपादक हैं। वह सहारा समय चैनल में एसोसिएट प्रोड्यूसर रह चुके हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा उन्होंने इतिहास और जनसंचार में एमए किया है।

कृष्ण प्रताप सिंह -

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। कई राष्ट्रीय अखबारों और पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते हैं। फैजाबाद में रहते हैं।

आमिर अली अजानी -

सामाजिक कार्यकर्ता और वर्धा से प्रकाशित मासिक पत्रिका 'नवनिर्मती' के संपादक हैं।

उर्सला राव -


यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, सिडनी में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलोजी की वरिष्ठ व्याख्याता हैं। वह मीडिया एंथ्रोपोलोजी की विशेष मानी जाती हैं। उन्होंने भारत की मीडिया पर कई शोध किए हैं। प्रकाशित अंश उनकी किताब 'न्यूज़ एंड कल्चर' के 'लोकल वाइसेज़' अध्याय के एक हिस्सा हैं।

मुकुल -

पत्रकारिता के लम्बे अनुभव के बाद मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े हैं।

चारू -

दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।



मीडिया और साम्प्रदायिकता

संपादन : अनिल चमड़िया

पेज : 186

मूल्य : 250 रुपये

प्रकाशक : मीडिया स्टडीज ग्रुप,
नई दिल्ली

यह वह युग है जहां मीडिया का पूरी दुनिया पर प्रभुत्व है और निश्चित/प्रत्यक्ष रूप से ये हमें कई रूप से प्रभावित करता है। ये किताब उस प्रभाव के अंदरूनी सूत्र पर नजर डालती है। ये किताब मुकम्मल अध्ययन का समेटा हुआ संकलन है। लेखक ने सांप्रदायिक घटनाओं से पहले और इसके बाद मीडिया की भागीदारी को दिखाने का प्रयास किया है। लेखक ने यह भी लिखा है कि अपने सामाजिक संबंधों को तय करने के लिए मीडिया पर निर्भरता को, भविष्य के प्रति खतरे के रूप में लेना चाहिए यह भविष्य

के लिए खतरे का संकेत है। रिसर्च बताते हैं कि मीडिया को खबर किस तरह प्रस्तुत करनी चाहिए लेकिन मीडिया कहां तक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके लिए लेखक ने कुछ संगीन दंगों पर ध्यान केंद्रित किया है, और इन में मीडिया का झुकाव दिखाया है। लेखक को किसी समुदाय से कोई सहानुभूति नहीं है, लेखक का मकसद सांप्रदायिक दंगों में मीडिया की भूमिका को बेनकाब करना है।

अध्ययन करने पर कई हैरतअंगेज तथ्य सामने आते हैं। लेखक ने कुछ

घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है— मुजफ्फरनगर दंगे, फैजाबाद हिंसा, अकोट दंगे, वाटर फिल्म विवाद और मीडिया, अयोध्या (बाबरी मस्जिद विध्वंस)।

लेखक ने मुजफ्फरनगर दंगों के अध्ययन के लिए अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का चुनाव किया है। अखबारों में दंगों से संबंधित छपी खबरें अध्ययन का विषय हैं। इसके लिए दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, अवामे हिंद, दैनिक प्रभात इन अखबारों की कतरने जमा की हैं।

दैनिक जागरण, अमर उजाला और

हिंदुस्तान सर्वाधिक पढ़े जाने वाले अखबार हैं। इसके अंतर्गत अखबारों में छपी खबरों के कई पहलुओं का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया।

इस अंतर्वस्तु विश्लेषण की कसौटी के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी की गई “पत्रकारों के लिए आचरण एवं मानदंड-2010 संस्करण” को आधार बनाया गया। जो सामुदायिक संघर्ष के माहौल में रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश की व्याख्या करता है। यह अध्ययन दंगों के दौरान मुख्यधारा के मीडिया की प्रमुख विशेषताओं के अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है। अध्ययन के बाद आंखें खोल देने वाले कई तथ्य सामने आये हैं। हालांकि सिस्टम मीडिया के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है, लेकिन कैसे चालाकी से मीडिया लोगों के विचारों को नियंत्रित करता है, और सफलतापूर्वक अपने सांप्रदायिक इरादों में कामयाब होता है। इस कार्रवाई में यह अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समय यह हानिकारक साबित हुआ है।

फैजाबाद दंगे में मीडिया की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए लेखक ने मीडिया के लोगों के बारे में घटनाओं में से कुछ का उल्लेख किया है, इनमें से कुछ प्रसिद्ध शब्दों का भी वर्णन किया है जिन्हें सांप्रदायिक ध्वनि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मामले में भी दिशा-निर्देशों के खिलाफ जाकर मीडिया सच्चाई छुपाता है और साथ ही अफवाहों को प्रकाशित कर अधिक तनाव का माहौल बनाने में कामयाब होते हैं। यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि मीडिया के लिए खबर की सामग्री के बजाय सनसनीखेज सामग्री ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जांच और तथ्यों के बाद मीडिया में प्रकाशित खबरों में कोई सच्चाई नहीं पायी जाती। यहां तक कि मीडिया सबूत दिए बिना प्रशासन और पुलिस को दोषी मानता है।

आकोट (अकोला) में हुए अत्याचारों पर कुछ अध्ययन किया इसमें भी मीडिया की भागीदारी तनाव में ईंधन भरने का काम करता हुआ प्रतीत हुआ। पुस्तक में यह भी समझाया गया है कि कैसे मीडिया अपनी स्वयं की इच्छा से तर्कों के साथ एकतरफा नीति अपनाता है। आकोट में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बारे में उर्दू हिंदी, अंग्रेजी और मराठी अखबारों की सामग्री का भी अध्ययन और विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण सीधा निष्कर्ष देता है कि मीडिया को खबर प्रकाशित/प्रदान कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए, लेकिन मीडिया एक ही समुदाय की भाषा बोलता है।

वाटर फिल्म की रिलीज से पहले बनाये गए अशांत वातावरण से भी मीडिया की क्षमता का अनुभव किया जा सकता है। एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए जो भी मीडिया प्रसारित कर रहा था यह उन लोगों के लिए एक पूरी तरह से अलग अनुभव था जिन्होंने इस घटना को आंखों से देखा। मीडिया मुद्दों को पहाड़ी पर पत्थर और पत्थर पर पहाड़ी जैसा दिखला सकता है। कई हस्तियों के वाटर फिल्म पर दिए गए बयान का उल्लेख किया गया। उनमें से अधिकांश शोहरत पाने के लिए अपने रास्ते के रूप में मीडिया का उपयोग करता है और सुर्खियों में आता है। मीडिया को मुद्दों से मौद्रिक लाभ की तलाश रहती है।

अयोध्या घटना के लिब्राहन आयोग की जांच में बताया गया है कि किस तरह कवरेज पूरी तरह से नियंत्रित था। आयोगकों द्वारा मीडिया की पहचान की गयी है कि मीडिया विकृत तरीके से बात प्रस्तुत करता है और लोगों के बीच सनसनी और उत्तेजना पैदा करके आर्थिक लाभ उठाता है। यह भी ध्यान में रखा है की कई बार मीडिया नियंत्रण से बाहर चला जाता है और यह भी साबित किया

गया है कि कई बार मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास कमजोर पड़ गया। पुस्तक में आगे का अध्ययन राम जन्म-भूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में मीडिया सामग्री पर है। सांप्रदायिक दंगों पर मीडिया में प्रकाशित खबर उनकी रुचि को दर्शाती है।

इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, वीर अर्जुन (सभी दिल्ली संस्करण) ध्यान केंद्रित मुख्य समाचार पत्र है। अखबारों की रिपोर्टिंग, शीर्षक और संपादकीय सामग्री का अलग से विश्लेषण किया गया है। लेखक का दृष्टिकोण तर्कसंगत है। लेखक पहले विवाद की पृष्ठभूमि देता है और फिर आठवें दशक के मीडिया की समाचार सामग्री पर विश्लेषण कर यह बताता है कि महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच किये बिना रिपोर्टिंग कैसे अशांति खड़ी करती है। इन प्रामाणिक विश्लेषणों के साथ कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि मीडिया अस्ती इतिहास की अवहेलना कर कहानियों और कल्पनाओं पर आधारित रिपोर्टिंग करता है।

अध्ययन से यह भी साबित हुआ है कि कैसे मीडिया अपनी स्वयं की इच्छानुसार खतरनाक तर्कों के साथ एकतरफा नीति अपनाता है इससे यह मालूम होता है कि मीडिया किसी भी सीमा को पार कर सकता है।

मीडिया के अपमानजनक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया एक्सप्रेस, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, आज, स्वतंत्र भारत, यूएनआई, पीटीआई की रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन प्रेस परिषद को प्रस्तुत किया गया है। कुछ मुद्दों की ओर इशारा करते हुए अखबारों में छपी तस्वीरों/कार्टून पर भी एक अध्ययन किया गया है।

(शेष पृष्ठ 40 पर)